रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 1982/चैत्र 9, 1904
No. 124] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 1982/CHAITRA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1982

का.आ. 210(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 18 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान नियंत्रण आदेश 1945 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त आदेश में,—

(क) खंड 2 के उपखंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(5क) "प्रतिधारण कीमत" से प्रत्येक कोयला खान स्वामी के बारे में, ऐसे स्वामी द्वारा उत्पादित और विक्रीत कोयले और कोक के हर वर्ग, श्रेणी या आकार के प्रतिटन की केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई कीमत अभिप्रेत है ।"

(ख) खंड 4 में, "ऐसी कीमत या ऐसी अधिकतम या न्यूनतम कीमत या दोनों" शब्दों के स्थान पर "ऐसी विक्रय कीमत या ऐसी अधिकतम या न्यूनतम विक्रय कीमत, या दोनों" शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) खंड 4 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"4क केन्द्रीय सरकार, सभी सुसंगत बातों, जिसमें कोयला खान की भूवैज्ञानिक और खनन स्थितियों तथा कोयला खान के स्वामी द्वारा प्रयुक्त खनन प्रौद्योगिकी भी है, साथ ही साथ ऐसे कोयला खान के स्वामी द्वारा उत्पादित कोयला और कोक के उत्पादन की प्राक्कलित लागत को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कोयला खान के स्वामी द्वारा उत्पादित और विक्रीत कोयले और कोक के हर वर्ग, श्रेणी या आकार के बारे में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिधारण कीमत नियत कर सकेगी ।

4ख (1) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को, जिसके अन्तर्गत सरकारी कम्पनी भी है, विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो एक लेखा रखेगा जिसका नाम कोयला कीमत विनियमन लेखा होगा ।

(2) जहां किसी कोयला खान स्वामी के लिए खंड 4क के अधीन कोयले या कोक के किसी वर्ग, श्रेणी या आकार के लिए नियत की गई प्रतिधारण कीमत, खंड 4 के अधीन कोयले या कोक या ऐसे वर्ग, श्रेणी या आकार के लिए नियत तत्संबंधी विक्रय कीमत से कम है वहां ऐसा

कोयला खान स्वामी, प्रत्येक विक्रय के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र और किसी भी दशा में उस अवधि के पश्चात् जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उसके द्वारा विक्रीत कोयले या कोक के प्रतिटन की बाबत प्रतिधारण कीमत और विक्रय कीमत के बीच अन्तर के समतुल्य रकम का कोयला कीमत विनियमन लेखा में संदाय करेगा ।

(3) जहां किसी कोयला खान स्वामी के लिए खंड 4 के अधीन कोयले या कोक के किसी वर्ग, श्रेणी या आकार के लिए नियत की गई प्रतिधारण कीमत, खंड 4 के अधीन कोयले या कोक के ऐसे वर्ग, श्रेणी या आकार के लिए नियत तत्स्थानी विक्रय कीमत से अधिक है, वहां ऐसे कोयला खान स्वामी को उसके द्वारा विक्रीत कोयले या कोक के प्रतिटन की बाबत प्रतिधारण कीमत और विक्रय कीमत के बीच अन्तर के समतुल्य रकम का, कोयला कीमत विनियमन लेखा में जमा रकम में से संदाय किया जाएगा ।

(4) कोयला कीमत विनियमन लेखा के प्रशासन के खर्चे, यदि कोई है, उक्त लेखा में जमा रकम में से संदत्त किए जाएंगे ।"

[फाइल सं 28012/3/71-सी ए 1]

ल. ना. लड्ढा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1982

S.O. 210(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Colliery Control Order, 1945, namely :—

In the said Order,—

(a) in clause 2, after sub-clause (5), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(5A) 'retention price' means the price fixed by the Central Government in respect of each colliery owner per tonne of each class, grade or size of Coal and coke produced and sold by such owner.",

(b) in clause 4, for the words "the price at which, or the maximum or the minimum price, or both", the words "the sale price at which, or the maximum or the minimum sale price, or both", shall be substituted ;

(c) after clause 4, the following clauses shall be inserted, namely :—

"4A. The Central Government may, having regard to all the relevant factors, including the geological and mining conditions of and the mining technology employed in the collieries by the colliery owner as well as the estimated cost of production of coal and coke produced by such colliery owner, fix, by notification in the Official Gazette, the retention price in respect of each class, grade or size of coal and coke produced and sold by such colliery owner.

4B. (1) The Central Government may specify any person or authority including a Government company who shall maintain an account to be called the Coal Price Regulation Account.

(2) Where the retention price of any class, grade or size of coal or coke fixed under clause 4A for any colliery owner is lower than the corresponding sale price fixed under clause 4 for such class, grade or size of coal or coke, such colliery owner shall, as soon as may be, after each sale, and in any case not later than such period, as may be specified in this behalf by the Central Government, pay into the Coal Price Regulation Account, an amount equivalent to the difference between the retention price and the sale price in respect of each tonne of coal or coke sold by him.

(3) Where the retention price of any class, grade or size of coal or coke fixed under clause 4A for any colliery owner is higher than the corresponding sale price fixed under clause 4 for such class, grade or size of coal or coke, such colliery owner shall be paid from the money standing to the credit of the Coal Price Regulation Account an amount equivalent to the difference between the retention price and the sale price in respect of each tonne of coal or coke sold by him.

(4) The expenses for administration, if any, of the Coal Price Regulation Account shall be paid from the money standing to the credit of the said account.".

[File No. 28012/3/81-C A]

L. N. LADDHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1982